कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfotnpanna@mp.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029

क्रमांक/मा0चि0/2018/ 4280 पन्ना,दिनांक 30-8-18

प्रति,

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन
संभाग पन्ना

विषय :– पन्ना जिले की निर्माणाधीन मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में भारत शासन से जारी सैद्धांतिक अनुमति में अधिरोपित शर्तो के पालन बावत्।

संदर्भ :– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र0/8–37/2017–एफ.सी. दिनांक 03.05.2018
2. आपका पत्र क्र0/1319 दिनांक 11.06.2018
3. पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना का पत्र क्र0/मा0चि0/4203 दिनांक 27.07.2018
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्र0/एफ–3/45/2014/10–11/5/2492 भोपाल दिनांक 13.08.2018
5. वनमंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना द्वारा प्रस्तुत गोशवारा दिनांक 27.08.2018

---------00---------

विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र0/8–37/2017–एफ.सी. दिनांक 03.05.2018 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है, प्रकरण में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो के पालन में आपके द्वारा एन.पी.व्ही. की राशि, वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि तथा कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान की व्यय राशि की जानकारी चाही गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

1. भारत शासन द्वारा जारी स्वीकृति की शर्त क्र0–vi में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालयीन पत्र क्र0/3637 दिनांक 24.07.2018 द्वारा कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान में होने वाली व्यय राशि की जानकारी पूर्व में ही प्रेषित की गई थी पुनः निम्नानुसार है।

वनभूमि अन्तर्गत कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान रकवा 2848.260 हे0 **व्यय राशि 83,49,425.00**

राजस्व भूमि अन्तर्गत कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान रकवा 362.790 हे0 **व्यय राशि 1,81,09,047.00**

2. भारत शासन द्वारा जारी स्वीकृति की शर्त क्र0–iv में दिये गये निर्देशानुसार 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का क्षेत्र 427.00 हे0 **कुल व्यय राशि 14,21,03,500.00 रूपये कैम्पा मद में जमा करें।**

3. भारत शासन द्वारा जारी स्वीकृति की शर्त क्र0–xxi में दिये गये निर्देशानुसार म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश दिनांक 12 सितम्बर 2008 के अनुसार योजना में प्रभावित कुल वनक्षेत्र 426.763 हे0 भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (नेट प्रजेन्ट वेल्यू) जो कि III (Tropical Dry Deciduous Forests) ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के तहत खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम) की दर [illegible] लाख प्रति हेक्टेयर की दर अनुसार **26,71,53,638.00 रूपये कैम्पा मद में जमा करें।**

4. भारत शासन द्वारा जारी स्वीकृति की शर्त क्र0–vii में दिये गये निर्देशानुसार योजना में प्रभावित पन टाईगर रिजर्व के बफर जोन का प्रभावित वनक्षेत्र 42.831 हे0 की एन.पी.व्ही. की राशि रूपये 2,68,12,206. का 5 प्रतिशत राशि **13,40,610.00 रूपये** पन्ना टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत वाईल्ड लाईफ मेनेजमेंट प्ल हेतु जमा किया जाना है, अतः प्राप्त निर्देशानुसार कैम्पा मद में जमा करें।

भारत शासन से जारी स्वीकृति की अधिरोपित शर्तो के संबंध में वरिष्ठ से प्राप्त मार्गदर्श अनुसार दाण्डिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 426.763 हे0 क्षेत्र में बिगड़े वनक्षेत्रों में किया जाना है जिसकी योज तैयार कर तकनीकी स्वीकृति उपरांत होने वाली व्यय राशि के साथ अन्य शर्तो के पालन में जमा होने वा राशि के संबंध में पृथक से शीघ्र जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी।

(नरेश सिंह यादव)
(भा.व.से.)
वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)
पन्ना,दिनांक ....

पृ0क्र0 / मा0चि0 / 2018 /

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल पन्ना की ओर सूचनार्थ कर अनुरोध है कि स्वीकृति की शर्त क्र0–\ एवं शर्त क्र0–XX में दिये गये निर्देशानुसार आवेदक संस्थान से ली जाने वाली राशि के संबंध मे अवगत कराने का कष्ट करें।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)